

प्रायोगिक शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मत्तालय

वल्लभ भट्टन भोपाल—462004

क्रमांक एक 73-06 / 2008 / 20-3

भोपाल, दिनांक:

पाति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय विकास संस्था सायना इन्टरनेशनल स्कूल, कटनी, मध्य प्रदेश को लौटी एसई/अई-सीसीएसई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विषयाकृत संस्था द्वारा आदेदन पत्र एवं शापथ पत्र के अद्यार पर संस्था को सीबीएसई/काईसीएसई से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है —

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा मध्य शासन एवं लोक शिक्षण संघालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वी प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यवारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था ने बान्नीय लक्ष्यतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विकासील अग्रिम शम्भन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होनी तथा इस संबंध में मारहा सरकार द्वारा औपचारिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

प्रायोगिक शासन के गठनात नियम
नदान आदेशानुसार

(द. एस. एस.)

अदेव लाल

प्रायोगिक शासन स्कूल शिक्षा विभाग

M. A. S.

/ / 2 / /

क्रमांक रुप 70-06/2006/20-3

मोपाल, दिनांक

21/5/08

प्रतीक्षिति -

सचिव, (सबधित संस्था / समिति), एस.एन.एजूकेशन सोसायटी, कटनी, मोपाल की
ओर अग्रेषित। 'अशासकीय शिक्षण संस्था सायना इन्टरनेशनल स्कूल, कटनी,
मोपाल' को सीधी एस.ई./आई.सी एस.ई.से राष्ट्रद्वारा मान्यता हेतु अनापत्ति
प्रमाण—पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है -

- (1) संस्था सीधी एस.ई./आई.सी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती
है अथवा नहीं। इसका परीक्षण केन्द्रीय नायनिक शिला नड़ल द्वारा किया
जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन
पत्र या राप्य—पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका
यालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय—समय पर दिए
गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या द्वारा शिकायत जाय भै सही
पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण—पत्र निरस्त
किया जा सकेगा।

2- आयुक्त, लोक शिक्षण मंत्र, मोपाल।

3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कटनी, मोपाल।

4- औरंगाबाद दुकान।

अवर सचिव

महाराष्ट्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
के